फारम–127

" कृपया देखें पाराग्राफ – 88 "

बिक्री अधिसूचना

वित्तीय वर्ष 2015–16 (1ली अप्रील 2015 से 31 मार्च, 2016 तक) (देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब दुकानों की खुदरा बिक्री के लिए)

1. इसके साथ संलग्न सूची में अंकित स्थानों या अवस्थिति के क्षेत्रों के लिए देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की खुदरा दुकानों की बन्दोबस्ती दिनांक–**09.03.2015** को तथा आवश्यकतानुसार उसके अगले दिन 10:00 बजे दिन से (स्थान) **समाहरणालय सभाकक्ष** में लॉटरी प्रणाली द्वारा निर्धारित फीस पर बन्दोबस्ती की जायेगी।

2. लॉटरी द्वारा दुकानों की बन्दोबस्ती निम्नांकित शर्त्तों के अधीन होगी और इन सभी शर्त्तो से अपने को प्रतिबद्ध रखते हुए ही कोई व्यक्ति बन्दोबस्ती में भाग ले सकता है।

3. लॉटरी द्वारा बन्दोबस्ती होने वाली देशी/मसालेदार देशी शराब, विदेशी शराब तथा कम्पोजिट शराब की दुकानों की अवस्थिति के मामले में दुकान के स्थान या स्थान के नाम के बदले एक या अनेक दुकानों की अवस्थिति का क्षेत्र घोषित कर बन्दोबस्ती की जायेगी।

4. (क) सभी प्रकार के शराब के खुदरा दुकानों को लॉटरी प्रणाली द्वारा मूल रूप से दुकानदार बन्दोबस्त किया जाएगा लेकिन राजस्व हित में अधिकाधिक दुकानों की बन्दोबस्ती के प्रयोजनार्थ उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती एकल दुकान या अधिकतम 03 (तीन) खुदरा उत्पाद दुकानों का समूह बनाकर वर्त्तमान नीति के प्रावधानों के तहत लॉटरी द्वारा बन्दोबस्त किया जाएगा। छोटा समूह अधितमक तीन दुकानों का इस प्रकार बनाया जाएगा जिसमें, लाभकर दुकानों के साथ अपेक्षाकृत कम लाभ वाले दुकाने भी रहेंगी।

दुकानों के प्रत्येक समूह (एकल दुकान का समूह सहित) के लिए तीन व्यक्तियों का नाम लॉटरी द्वारा निकाला जाएगा। लॉटरी द्वारा निकाले गए प्रथम नाम के साथ ही दुकान की बन्दोबस्ती की जाएगी। यदि किसी कारण से प्रथम व्यक्ति के साथ बन्दोबस्त नहीं हो सके या बन्दोबस्ती के बाद भी यदि अनुज्ञप्ति विखंडित हो जाती है तो उक्त समूह (एकल दुकान का समूह सहित) के दुकान के लिए चयनित दूसरे लॉटरी विजेता तथा उसके मुकर जाने के उपरांत तीसरे लॉटरी विजेता के साथ बंदोबस्ती की जाएगी।

यदि लॉटरी विजेता दुकान/दुकानों का समूह की बन्दोबस्ती लेने से मुकर जाता है तो वह राज्य के किसी भी दुकान की बन्दोबस्ती लेने से निरर्हित हो जाएगा।

(ख) किसी जिला में चयनित आवेदक के साथ तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बंदोबस्ती नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बंदोबस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ग) किसी दुकान या दुकानों के समूह के लिए तीन से कम अभ्यर्थी होने की स्थिति में उपलब्ध अभ्यर्थियों के बीच ही लॉटरी द्वारा बंदोबस्ती की कारवाई की जायेगी।

5. इस बिक्री अधिसूचना में वर्णित शर्त्तें अनुज्ञप्ति की भी शर्त्तें मानी जायेगी। बिक्री अधिसूचना के प्रपत्र की प्रतिलिपि समाहर्त्ता के कार्यालय/विभाग के बेवसाईट **www.excise-bihar.gov.in** पर देखी जा सकती है।

6. (क) लॉटरी द्वारा बन्दोबस्त खुदरा दुकानों की अनुज्ञप्ति 1ली अप्रील, 2015 से प्रभावी होगी जो 31 मार्च, 2016 तक के लिए प्रदान की जायेगी। किसी अनुज्ञप्ति की बन्दोबस्ती अगर वर्ष 2015-16 के बीच में किसी अन्य तिथि के प्रभाव से की जाती है तब भी बन्दोबस्ती की तिथि से 31 मार्च, 2016 तक के लिए ही अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी।

(ख) अनुवर्त्ती वर्ष के लिए अनुज्ञप्ति नवीकरण सरकार द्वारा निर्धारित बंधेज एवं शर्त्तों पर की जा सकती है परन्तु दो उत्पाद वर्ष जो दिनांक 31 मार्च 2017 को समाप्त होगी, उससे अधिक अवधि के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दी जायेगी।

7 (क) लॉटरी द्वारा खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती लेने वाले इच्छुक अभ्यर्थी (आवेदक) को अपने आवदेन के साथ वैयक्तिक पहचान प्रमाण (आईडेंटिटी प्रुफ) के रूप में स्थायी निवास के प्रमाण के लिए फोटो युक्त पहचान-पत्र जैसे मतदाता परिचय-पत्र, पासपोर्ट, आयकर स्थायी खाता संख्या एवं ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि समर्पित करने की अनिवार्यता होगी तथा यदि किसी कारणवश फोटो युक्त पहचान पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर नहीं समर्पित की जाती है तो किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो तथा राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जल/टेलीफोन/बिजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेंटमेंट इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करने की अनिवार्यता होगी।

लॉटरी प्रणाली द्वारा बन्दोबस्त की जाने वाली खुदरा देशी शराब/मसालेदार देशी शराब दुकानें, भारत निर्मित विदेशी शराब की दुकानें तथा कम्पोजिट शराब की दुकानों की बन्दोबस्ती लेने हेतु इच्छुक व्यक्ति एक या एक से अधिक दुकान या एक से अधिक समूह की दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकता है, बशर्त्ते सभी दुकानों एवं समूह के दुकानों जिसके लिए आवेदन देगा उस पर विभाग द्वारा निर्धारित अलग-अलग आवेदन शुल्क (प्रोसेसिंग फी) जमा करना होगा जो उन्हें वापस लौटाई नहीं जाएगी। परन्तु, अधिकतम तीन समूह के दुकानों से अधिक दुकानों की बन्दोबस्ती एक जिले में एक व्यक्ति के साथ नहीं की जायेगी तथा एकल दुकान बन्दोबस्त होने की स्थिति में भी एक दुकान को एक समूह माना जाएगा।

(ख) लॉटरी द्वारा बन्दोबस्त की जाने वाली उत्पाद खुदरा दुकानों के लिए प्रत्येक इच्छुक आवेदकों से दुकानों को दो श्रेणी में विभक्त कर यथा हाई पोटेंसियल जोन एवं लो पोटेंसियल जोन के आधार पर समर्पित की जाने वाली आवेदन के साथ दुकानवार निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि, जो वापसी योग्य नहीं है, को एकीकृत कर **हाई पोटेंसियल जोन** के लिए निर्धारित श्रेणीवार दुकानों के लिए निर्धारित किए गए आवेदन शुल्क की राशि ही निम्नवत निर्धारित दर से आवेदन शुल्क की राशि के रूप में देय होगा।

क्षेत्र का नाम	हाई पोटेंशियल तथा लो पोटेंशियल जोन के लिए
पटना नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित	रू0 7000.00 (सात हजार)
अन्य नगर निगम क्षेत्र के लिए	रू0 5000.00 (पाँच हजार)
नगर परिषद के लिए	रू0 4000.00 (चार हजार)
नगर पंचायत क्षेत्र के लिए	रू0 3000.00 (तीन हजार)
प्रखण्ड मुख्यालय (जो उपर्युक्त क्षेत्रों से भिन्न हो)	रू0 3000.00 (तीन हजार)
अन्य ग्रामीण क्षेत्र	रू0 2000.00 (दो हजार)

छोटे समूह में उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती लेने वाले इच्छुक आवेदकों से आवेदन शुल्क की राशि समूह के प्रत्येक दुकान के लिए अलग–अलग निर्धारित दर पर ही जमा कराई जाएगी, न कि समूह के दुकानों को एक दुकान मानकर उन्हें समूह के दुकान के लिए एक दुकान का आवेदन शुल्क जमा करने की छूट दी जाएगी।

अभ्यर्थी राज्य के किसी भी जिला में अवस्थित किसी भी दुकान के लिए आवेदन दे सकते हैं। यदि वे चाहें तो जिस जिला में वे रहते हैं, वहाँ के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के कार्यालय से बाहर के जिला में अवस्थित दुकानों के लिए भी आवेदन दे सकते हैं, परन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन फीस बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से समर्पित करना होगा जो उस जिला में भुगतेय होगा जिस जिला की दुकान के लिए वह आवेदन देगा।

8. बन्दोबस्ती में किसी भी आवेदक के विरूद्ध निम्नांकित कोई अयोग्यता पाये जाने पर उसके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा :–

(क) अगर वह 21 वर्ष से कम आयु का हो।

(ख) वह सरकारी बकायेदार हो।

(ग) आवेदक का नाम उत्पाद बकायेदार की सूची या काली सूची में हो।

(घ) अगर वह दिवालिया (इंनसोलवेंट) हो।

आवेदक को उपरोक्त अयोग्यता नहीं रहने के समर्थन में निम्नांकित आशय का शपथ पत्र अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(i) उस पर कोई सरकारी देयता अथवा बकया नहीं है,

(ii) उसका नाम उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की बकाया अथवा काली सूची में नहीं है,

(iii) उसे बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये किसी नियम के प्रावधानों के अधीन उत्पाद अनुज्ञप्ति धारण करने से न तो वर्जित किया गया है और न किसी भी अन्य राज्य से तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित किया गया है तथा उसका नाम अन्य राज्यों की बकाया एवं काली सूची में नहीं है,

(iv) उसका नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उसके बिहार उत्पाद अधिनियम 1915, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 या किसी संज्ञेय एवं गैर जमानतीय अपराध में दंडित किये जाने की स्थिति में वह एक वर्ष से अधिक का कारावास अवधि का सजायफ्ता नहीं है, और

(v) यह अन्डरटेकिंग कि उसके अनुज्ञाधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में, राज्य के जिन–जिन जिलों में पूर्व में वह लाइसेन्सी रहा है, उन जिलों से बकायादार/काली सूची में सम्मिलित नहीं होने से संबंधित प्रमाण–पत्र लाइसेन्स जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर उसके द्वारा लाइसेंसिग पदाधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लाइसेंसिग पदाधिकारी उसकी अनुज्ञप्ति को निरस्त/विखंडित कर सकेगा।

9. बन्दोबस्ती में भाग लेने से इच्छुक अभ्यर्थी अपनी पात्रता के पक्ष में प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के साथ सभी परिपूर्ण अभिलेख बन्दोबस्ती के दिन को छोड़कर पाँच दिन पूर्व जिला उत्पाद कार्यालय में जमा करेगा तथा उसकी प्राप्ति रसीद लेगा। आवेदन के साथ निम्नांकित कागजात (आवेदन शुल्क की राशि सहित) समर्पित करने की अनिवार्यता होगी :

(क) एकल दुकान या समूह की दुकानों, जिसके लिए वे आवेदन देना चाहते है, उसके लिए अलग–अलग दर पर निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि नगद, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक द्वारा,

(ख) शपथ पत्र (बिक्री अधिसूचना के प्रावधानानुसार),

(ग) वैयक्तिक पहचान प्रमाण (आइडेंटिटी प्रूफ) से संबंधित वांछित कागजात।

10. कर्त्तव्यस्थ पदाधिकारियों से भिन्न कोई भी व्यक्ति बन्दोबस्ती वाले हॉल में हॉल टिकट प्रस्तुत किये बिना प्रवेश नहीं कर सकता है। जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद, जैसी भी स्थिति हो, वास्तविक आवेदक या उसकी अनुपस्थिति में उसके एक प्राधिकृत प्रतिनिधि को एक निःशुल्क हॉल टिकट निर्गत करेंगे।

11. दुकानों की बन्दोबस्ती के लिए लॉटरी निकालने के दो दिन पूर्व उस दुकान के योग्य व्यक्तियों के नामों की सूची प्रकाशित कर दी जायेगी।

12. किसी भी आवेदक की वैयक्तिक पहचान पत्र, पात्रता एवं उनके द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के संबंध में दूसरे आवेदक द्वारा लिखित चुनौती/लॉटरी के पूर्व दी जा सकती है। आवेदक की पात्रता, शपथ–पत्र के संबंध में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

13 (क) यदि कोई दुकान/दुकानों के समूह किसी कारण से बन्दोबस्त नहीं हो सके, तो समाहर्त्ता पुनः बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करेंगे। परन्तु इसके लिए पन्द्रह दिन पूर्व बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करने की बाध्यता नहीं रहेगी।

(ख) बन्दोबस्ती सर्वप्रथम वैसी दुकान/दुकानों के समूहों से प्रारंभ की जायेगी जिसका न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा कम होगी।

14 (क) बन्दोबस्ती के तुरंत बाद बन्दोबस्तदार को वार्षिक् अनुज्ञाशुल्क का बारहवां भाग अग्रिम अनुज्ञाशुल्क के रूप में बैंक ड्राफ्ट/नगद जमा करना होगा।

बन्दोबस्तदार को वार्षिक अनुज्ञप्तिफीस के बारहवें भाग के बराबर प्रतिभूति राशि नगद या बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारंटी या जिले के समाहर्त्ता अथवा सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद के पदनाम से बंधीकृत फिक्सड डिपोजिट (Scheduled Nationalised Bank का) या थातीकृत राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र के रूप में बंदोबस्ती के तुरंत बाद जमा करना होगा। बैंक गारंटी की मान्यता अवधि जून, 2016 रहेगी।

(ख) बन्दोबस्तदार/अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक माह की 1ली तारीख को वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का 12वां भाग जिला के कोषागार में जमा करेगा। अगर किसी कारणवश पहली तारीख तक अनुज्ञप्तिफीस जमा नहीं कर सकने की स्थिति में अनुज्ञाधारी संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से कारण सहित समय के लिए अनुरोध कर सकता है परन्तु हर हाल में माह की 20वीं तारीख तक अनुज्ञप्ति फीस अवश्य जमा कर देगा। यदि 20वीं तारीख सार्वजनिक अवकाश का दिन हो तो अगले कार्य दिवस को जमा करेगा, अन्यथा अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जायेगी तथा जमा संपूर्ण प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जायेगी तथा उक्त दुकान/दुकानों के समूह लॉटरी के क्रम संख्या दो अभ्यर्थी के साथ अथवा अभ्यर्थी संख्या–2 का दुकान लेने से इंकार करने पर अभ्यर्थी संख्या तीन के साथ बन्दोबस्त कर दी जायेगी।

(ग) खुदरा उत्पाद दुकानों की समूह में बदोवस्ती लेने वाले अनुज्ञाधारियों की, समूह के किसी दुकान की अनुज्ञप्ति की शर्त्तों के उल्लंघन के लिए उस दुकान की अनुज्ञप्ति के साथ–साथ समूह के अन्य दुकानों की अनुज्ञप्तियाँ भी बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत नैसर्गिक न्याय सिद्धांत का पालन करते हुए विखंडित कर समूह के सभी दुकानों की जमानत राशि एवं अग्रिम अनुज्ञाशुल्क जप्त कर ली जा सकेगी।

15.(क) जहाँ बन्दोबस्ती पूरे वर्ष के लिए होगी वहाँ अनुज्ञप्ति फीस कुल वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का बारहवां भाग उपर्युक्त कंडिका (ख) के अनुसार जमा करेगा। परन्तु जहाँ बन्दोबस्ती साल के बीच में होगी वहाँ समानुपातिक मासिक अनुज्ञाशुल्क देय होगी।

(ख) किसी मदिरा की दुकानें सम्पूर्ण उत्पाद वर्ष के लिए बन्दोबस्त की जायेगी। अगर बन्दोबस्ती साल के बीच में होगी तो वैसी स्थिति में वह उत्पाद वर्ष की 31वीं मार्च तक प्रभावी रहेगी।

(ग) प्रतिभूति राशि तथा एक माह की अग्रिम अनुज्ञप्ति फीस के साथ–साथ जिस माह से अनुज्ञप्ति दी गयी है, उस माह की अनुज्ञप्ति फीस भी जमा करने के बाद बन्दोबस्तदार के पक्ष में अनुज्ञप्ति तुरंत निर्गत कर दी जायेगी। अग्रिम अनुज्ञाशुल्क वर्ष की समाप्ति वाले माह में समायोजित होगी, इसके लिए अनुज्ञाधारी को आवेदन देना होगा परन्तु प्रतिभूति राशि अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के बाद, उसके बकाया राशि, अगर कुछ हो, की कटौती कर वापस की जायेगी।

(घ) स्थल का अनुमोदन होते ही स्थल का ब्योरा अनुज्ञप्ति में अंकित कर दिया जायेगा।

16. (क) कंडिका 15(ग) के अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त होते ही आपत्ति रहित स्थल उपलब्ध कराने की पूरी जवाबदेही अनुज्ञाधारी की होगी। अनुज्ञाधारी बन्दोबस्ती के बाद दस दिनों के अन्दर, आपत्ति रहित प्रस्तावित दुकान परिसर के पूर्ण विवरण के साथ उसके अनुमोदन हेतु जिला के समाहर्त्ता को आवेदन देंगे। समाहर्त्ता द्वारा अनुमोदित स्थल पर ही दुकान खोली जायेगी। स्थल की स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय आवेदन प्राप्ति के दस दिनों के अन्दर समाहर्त्ता द्वारा कर दिया जायेगा, अन्यथा अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद तथा समाहर्त्ता संयुक्त रूप से राजस्व क्षति के लिए उत्तरदायी होंगे।

बंदोबस्ती के सफल लॉटरी विजेता अनुज्ञप्ति स्थल के अनुमोदन हेतु समर्पित किये जाने वाले अपने आवेदन पत्र के साथ अनुज्ञप्ति स्थल के प्रवेश–द्वार एवं अंदर के भाग तथा उसके चौहदी में स्थित भूमि भवन/खाली स्थानों का Still Photograph, जिसमें मात्र उनकी भी उपस्थिति रहेगी, तीन प्रतियों में अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करेंगे।

(ख) बंदोबस्ती के सफल लॉटरी विजेता अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से दो माह के अंदर अपने स्थायी लेखा संख्या (PAN) के कार्ड की छायाप्रति अधीक्षक उत्पाद/सहायक आयुक्त उत्पाद को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) ग्रामीण क्षेत्र के कम्पोजिट शराब की दुकानें शहरी क्षेत्र (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत) की सीमा से कम से कम दो किलोमीटर की दूरी पर खोली जाएगी तथा प्रखण्ड मुख्यालय अवस्थित पंचायत की सीमा से कम से कम एक किलोमीटर की दूरी पर खोली जाएगी।

17. स्थल चयन के कारण दुकान खोलने में बिलम्ब के लिए अनुज्ञप्तिधारी स्वयं जिम्मेवार होगा, तथा इसके लिए किसी प्रकार की छूट/क्षतिपूर्ति का वह हकदार नहीं होगा।

18. सरकार शराब पर देय उत्पाद कर में एवं राजस्व पर्षद लागत मूल्य में किसी भी समय परिवर्त्तन कर सकती है।

19.(क) बिक्री अधिसूचना में अंकित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का बारहवां भाग प्रत्येक माह में अनुज्ञाधारी को उठाना होगा। निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उपर किन्तु 15 प्रतिशत तक अधिक उठाव करने पर अनुज्ञप्ति फीस पर पूर्ण छूट होगी परन्तु निर्धारित कोटा के 15 प्रतिशत से भी उपर उठाव करने पर देय प्रति, एल0पी0एल0 अनुज्ञप्ति फीस की राशि का 50 प्रतिशत राशि का भुगतान अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस के रूप में अग्रिम रूप से देय होगा। किसी माह का बचा हुआ कोटा अगले माह में उठाने पर इसे अतिरिक्त उठाव नहीं माना जायेगा परंतु माह मार्च का बचा हुआ कोटा माह अप्रील में उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ख) विदेशी शराब की खुदरा अनुज्ञप्ति के मामले में यदि कोई बन्दोबस्तदार अपनी अनुज्ञप्त परिसर को 'ऑन' बिक्री में परिवर्तित करना चाहेगा तो वह उस दुकान के वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस का 10 % अधिक राशि देने की सहमति के साथ संबंधित जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद को आवेदन देगा। उसके आवेदन पर विचार करते हुए उसे अपनी दुकान में 'ऑन' बिक्री की अनुमति दी जायेगी लेकिन ऐसी स्थिति में उत्पाद अधिनियम 47 के अन्तर्गत स्थल आपत्ति रहित होने पर ही यह सुविधा दी जा सकती है।

(ग) 'ऑन' बिक्री के लिए उसी परिसर से सटा हुआ एक अलग कमरा/जगह जो 'ऑफ' काउन्टर से अलग हो, रखना होगा तथा उसका पूर्ण विवरण तथा नक्शा का ब्लू प्रिंट तीन प्रतियों में समाहर्त्ता के अनुमोदनार्थ देना होगा, जो समाहर्त्ता से अनुमोदित होना अनिवार्य होगा ।

(घ) समानुपातिक मासिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा प्रत्येक माह की अंतिम कार्य दिवस तक अनुज्ञाधारी को उठा लेना होगा।

(ङ) प्रत्येक प्रकार की मदिरा के बोतल/सैशे पर अधिकतम खुदरा मूल्य अंकित रहेगा तथा उससे अधिक मूल्य पर उपभोक्ता को नहीं बेचेगा।

20. अनुज्ञाधारी उठायी गयी सम्पूर्ण शराब की मात्रा अनुज्ञप्ति अवधि की समाप्ति के पूर्व तक बेचना सुनिश्चित करेगा।

21. मदिरा की अनापूर्ति की दशा, दुकान खुलने में विलम्ब, चुनाव के कारण दुकान की बंदी आदि की दशा में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूति नहीं दी जायेगी और न ही अनुज्ञाशुल्क में छूट का कोई दावा स्वीकार किया जायेगा।

22.(क) अनुज्ञाधारी अपनी अनुज्ञप्त परिसर के बाहर मुख्य दरबाजा पर लगी बोर्ड पर निम्नांकित सूचनाएँ स्पष्ट रूप से उल्लेखित करेगा –

(i) दुकान का नाम एवं अनुज्ञप्ति अवधि,
(ii) अनुज्ञाधारी का नाम,
(iii) दुकान के अधिकृत विक्रेता का नाम,
(iv) सभी श्रेणी के शराब का अधिकतम खुदरा मूल्य।

(ख) बंदोबस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर के प्रवेश द्वार पर विभागीय पत्रांक 4085 दिनांक 31.12.10 में निर्धारित मानके के अनुसार 3′ X 2.5′ साईज का साईन बोर्ड लगायेंगे तथा उस पर निर्धारित भाषा एवं रंग में ही आवश्यक सूचना लिखवायेंगे।

(ग) बंदोवस्तधारी अपने अनुज्ञप्ति परिसर अथवा उसके आस–पास किसी उत्तेजक चित्र एवं भाषा वाले पेंटिंग्स/बोर्ड का उपयोग न तो स्वयं करेंगे और नहीं किसी अन्य को इसकी अनुमति देंगे।

(घ) बंदोबस्तधारी, निगम के डिपो से पासबुक में प्रविष्टि कराकर ही मदिरा का निर्गमण लेंगे।

23.(क) बंदोबस्तदार बिहार उत्पाद अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अन्तर्गत बने उन सभी नियमों का पालन करेगा जो राज्य सरकार/राजस्व पर्षद द्वारा बनाये गये हैं, या समय–समय पर बनाये जायेंगे। साथ ही, अनुज्ञप्तिधारी को सक्षम पदाधिकारी से समय–समय पर जारी किये गये या किये जाने वाले सभी संबंधित आदेशों, निर्देशों एवं अनुदेशों का अनुपालन करेगा।

(ख) अनुज्ञप्ति परिसर में निरीक्षण के समय अनुज्ञाधारी निरीक्षी पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करेगा। स्टॉक पंजी प्रत्येक दिन का अद्यतन लिखना आवश्यक होगा। अनुज्ञप्ति परिसर में अनुज्ञप्ति भी रखना होगा तथा मांगने पर सभी अभिलेख प्रदर्शित करना होगा।

24. राज्य सरकार अपनी बंदोबस्ती नीति के किसी भी समय परिवर्तन करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखती है।

25. इस बिक्री अधिूसचना की शर्त अनुज्ञप्ति की शर्त भी मानी जायेगी तथा इसके उल्लंघन के लिए उत्पाद अधिनियम की धारा 42 एवं संगत प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

समाहरणालय का नाम –मुजफ्फरपुर
दिनांक –

अधीक्षक उत्पाद,
मुजफ्फरपुर।

अपर समाहर्त्ता,
मुजफ्फरपुर।

समाहर्त्ता,
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक –1099/उ0/मुज0, दिनांक– 21/02/15

प्रतिलिपि :– आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना/संयुक्त आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना/आयुक्त उत्पाद के सचिव, बिहार, पटना/सभी उपायुक्त उत्पाद/सभी समाहर्त्ता/सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/ सभी अधीक्षक उत्पाद/वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर/उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/सभी अंचल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/सभी निरीक्षक उत्पाद एवं सभी अवर निरीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर जिला को सूचनार्थ एवं विस्तृत प्रचारार्थ प्रेषित।

इसकी एक–एक प्रति समाहरणालय, मुजफ्फरपुर एवं अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर के सूचनापट्ट पर आम जानकारी हेतु साट दिया जाए।

बंदोबस्ती में भाग लेने के लिए इच्छुक व्यक्ति 2.50 रू0 (दो रूपया पचास पैसे) कोर्ट फी स्टाम्प पर प्रत्येक दुकान/समूह हेतु अलग–अलग आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क, नकद/बैंक ड्राफ्ट सहित (जो अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर के पदनाम से भुगतेय होगा) बंदोबस्ती की तिथि को छोड़कर पांच दिन पूर्व अर्थात **03.03.2015** तक अधीक्षक उत्पाद, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में समर्पित करेंगे।

अधीक्षक उत्पाद,
मुजफ्फरपुर।

अपर समाहर्त्ता,
मुजफ्फरपुर।

समाहर्त्ता,
मुजफ्फरपुर।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए बंदोबस्त की जाने वाली समूहो की सूची :–

जिला–मुजफ्फरपुर

क्र0	समूह सं0	दुकानों की श्रेणी	दुकान का नाम	मासिक न्यूनतम कोटा (LPL/BL)				मासिक अनुज्ञा शुल्क	समूह का मासिक अनुज्ञाशुल्क	आवेदन शुल्क
				देशी शराब	म0दे0 शा0	विदेशी शराब	बीयर			
1		MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 01	0	0	4070	8160	692100		
2	1	MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 02	0	0	4070	8160	692100	1719630	15000
3		MMC	देशी शराब दुकान सं0– 01	3328	399	0	0	335430		
4		MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 03	0	0	4070	8160	692100		
5	2	MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 04	0	0	4070	8160	692100	1719630	15000
6		MMC	देशी शराब दुकान सं0– 02	3328	399	0	0	335430		
7		MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 05	0	0	4070	8160	692100		
8	3	MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 06	0	0	4070	8160	692100	1719630	15000
9		MMC	देशी शराब दुकान सं0– 03	3328	399	0	0	335430		
10		MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 07	0	0	4070	8160	692100		
11	4	MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 08	0	0	4070	8160	692100	1719630	15000
12		MMC	देशी शराब दुकान सं0– 04	3328	399	0	0	335430		
13		MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 09	0	0	4070	8160	692100		
14	5	MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 10	0	0	4070	8160	692100	1719630	15000
15		MMC	देशी शराब दुकान सं0– 05	3328	399	0	0	335430		
16		MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 11	0	0	4070	8160	692100		
17	6	MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 12	0	0	4070	8160	692100	1719630	15000
18		MMC	देशी शराब दुकान सं0– 06	3328	399	0	0	335430		
19		MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 13	0	0	4070	8160	692100		
20	7	MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 14	0	0	4070	8160	692100	1719630	15000
21		MMC	देशी शराब दुकान सं0– 07	3328	399	0	0	335430		
22		MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 15	0	0	4070	8160	692100		
23	8	MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 16	0	0	4070	8160	692100	1719630	15000
24		MMC	देशी शराब दुकान सं0– 08	3328	399	0	0	335430		
25		MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 17	0	0	4070	8160	692100		
26	9	MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 18	0	0	4070	8160	692100	1719630	15000
27		MMC	देशी शराब दुकान सं0– 09	3328	399	0	0	335430		
28		MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 19	0	0	4070	8160	692100		
29	10	MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 20	0	0	4070	8160	692100	1719630	15000
30		MMC	देशी शराब दुकान सं0– 10	3328	399	0	0	335430		
31		MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 21	0	0	4070	8160	692100		
32	11	MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 22	0	0	4070	8160	692100	1719630	15000
33		MMC	देशी शराब दुकान सं0– 11	3328	399	0	0	335430		
34		MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 23	0	0	4070	8160	692100		
35	12	MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 24	0	0	4070	8160	692100	1719630	15000
36		MMC	देशी शराब दुकान सं0– 12	3328	399	0	0	335430		

क्र0	समूह सं0	दुकानों की श्रेणी	दुकान का नाम	मासिक न्यूनतम कोटा (LPL/BL)				मासिक अनुज्ञा शुल्क	समूह का मासिक अनुज्ञाशुल्क	आवेदन शुल्क
				देशी शराब	म0दे0 श0	विदेशी शराब	बीयर			
37	13	MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 25	0	0	4070	8160	692100	1719630	15000
38		MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 26	0	0	4070	8160	692100		
39		MMC	देशी शराब दुकान सं0– 13	3328	399	0	0	335430		
40	14	MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 27	0	0	4070	8160	692100	1719630	15000
41		MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 28	0	0	4070	8160	692100		
42		MMC	देशी शराब दुकान सं0– 14	3328	399	0	0	335430		
43	15	MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 29	0	0	4070	8160	692100	1719630	15000
44		MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 30	0	0	4070	8160	692100		
45		MMC	देशी शराब दुकान सं0– 15	3328	399	0	0	335430		
46	16	MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 31	0	0	4070	8160	692100	1719630	15000
47		MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 32	0	0	4070	8160	692100		
48		MMC	देशी शराब दुकान सं0– 16	3328	399	0	0	335430		
49	17	MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 33	0	0	4070	8160	692100	1719630	15000
50		MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 34	0	0	4070	8160	692100		
51		MMC	देशी शराब दुकान सं0– 17	3328	399	0	0	335430		
52	18	MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 35	0	0	4070	8160	692100	1719630	15000
53		MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 36	0	0	4070	8160	692100		
54		MMC	देशी शराब दुकान सं0– 18	3328	399	0	0	335430		
55	19	MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 37	0	0	4070	8160	692100	1719630	15000
56		MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 38	0	0	4070	8160	692100		
57		MMC	देशी शराब दुकान सं0– 19	3328	399	0	0	335430		
58	20	MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 39	0	0	4070	8160	692100	1719630	15000
59		MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 40	0	0	4070	8160	692100		
60		MMC	देशी शराब दुकान सं0– 20	3328	399	0	0	335430		
61	21	MMC	विदेशी शराब दुकान सं0– 41	0	0	4070	8160	692100	1362960	15000
62		MMC	देशी शराब दुकान सं0– 21	3328	399	0	0	335430		
63		MMC	देशी शराब दुकान सं0– 22	3328	399	0	0	335430		
64	22	MMC	देशी शराब दुकान सं0– 23	3328	399	0	0	335430	670860	10000
65		MMC	देशी शराब दुकान सं0– 24	3328	399	0	0	335430		
66	23	MMC	देशी शराब दुकान सं0– 25	3328	399	0	0	335430	670860	10000
67		MMC	देशी शराब दुकान सं0– 26	3328	399	0	0	335430		
68	24	NPT	कांटी देशी शराब सं0 01	2200	264	0	0	221760	753300	8000
69		NPT	कांटी देशी शराब सं0 02	2200	264	0	0	221760		
70		RPT	हरचंदा, गोदाई, फूलकाहा –29	1265	152	1100	1725	309780		
71	25	NPT	मोतीपुर देशी शराब सं0 01	2640	317	0	0	266130	798390	9000
72		NPT	मोतीपुर देशी शराब सं0 02	2640	317	0	0	266130		
73		NPT	मोतीपुर देशी शराब सं0 03	2640	317	0	0	266130		
74	26	NPT	साहेबगंज देशी शराब सं0 01	2800	336	0	0	282240	796280	8000
75		NPT	साहेबगंज देशी शराब सं0 02	2800	336	0	0	282240		
76		RPT	बंगरा निजामत, वासुदेवपुर सराय, माधोपुर हजारी, अहियापुर –114	1000	120	800	1100	231800		

क्र0	समूह सं0	दुकानों की श्रेणी	दुकान का नाम	मासिक न्यूनतम कोटा (LPL/BL)				मासिक अनुज्ञा शुल्क	समूह का मासिक अनुज्ञाशुल्क	आवेदन शुल्क
				देशी शराब	म0दे0 श0	विदेशी शराब	बीयर			
77	27	NPT	कांटी विदेशी शराब सं0 01	0	0	2200	5750	387500	1162500	9000
78		NPT	कांटी विदेशी शराब सं0 02	0	0	2200	5750	387500		
79		NPT	काटी विदेशी शराब सं0 03	0	0	2200	5750	387500		
80	28	NPT	मोतीपुर विदेशी शराब सं0 01	0	0	2850	5175	479250	1314870	8000
81		NPT	मोतीपुर विदेशी शराब सं0 02	0	0	2850	5175	479250		
82		RPT	महना चौक, महिमा गोपीनाथपुर, कल्याणपुर हरौना, नरियार –86	1400	168	1320	1725	356370		
83	29	NPT	मोतीपुर विदेशी शराब सं0 03	0	0	2850	5175	479250	1273770	8000
84		NPT	मोतीपुर विदेशी शराब सं0 04	0	0	2850	5175	479250		
85		RPT	मगुराही बाजार, बरियारपुर पश्चिमी, बरजी, कोरिगामा –85	1320	158	1100	1725	315270		
86	30	NPT	साहेबगंज विदेशी शराब सं0 01	0	0	2860	5600	485000	1455000	9000
87		NPT	साहेबगंज विदेशी शराब सं0 02	0	0	2860	5600	485000		
88		NPT	साहेबगंज विदेशी शराब सं0 03	0	0	2860	5600	485000		
89	31	BLK	नरसंडा देशी शराब	1100	132	0	0	110880	433260	8000
90		BLK	नरसंडा विदेशी शराब	0	0	880	805	140050		
91		RPT	नरसंडा, धमोली, रामनाथ प0– 34	770	92	660	575	182330		
92	32	RPT	बहुआरा, ब्रहमपुर कर्मण (मोतीपुर प्रखंड)–27	880	106	880	920	229940	448720	4000
93		RPT	बकटपुर, झिटकाही मधुबन–28	770	92	880	920	218780		
94	33	RPT	शाहपुर, पानापुर हवेली, लस्करीपुर-- 32	1100	132	1260	1150	311380	681730	4000
95		RPT	दामोदरपुर हाट, दामोदरपुर, सहादतपुर, –30	1375	165	1430	1725	370350		
96	34	RPT	लदौरा, सुमेरा –53	1375	165	1500	1800	381600	690560	4000
97		RPT	पताही, पताहीं रूप, मधुबनी –96	1200	144	1100	2300	308960		
98	35	BLK	कुढ़नी देशी शराब	1980	238	0	0	199620	956930	8000
99		BLK	कुढ़नी विदेशी शराब	0	0	2900	4600	481000		
100		RPT	चढुआ, किशुनपुर मधुबन – 42	990	119	1100	1150	276310		
101	36	RPT	केरमाडीह, बसौली, किनारू– 49	1320	158	1320	1725	348270	619150	4000
102		RPT	मालती चौक, जम्हरूआ, मोहम्मदुपुर मुबारक, अमरख (N.H. 28 एवं इसके 400 मी0 पश्चिम के क्षेत्र को छोड़कर)– 47	1100	132	990	1150	270880		
103	37	RPT	काजीइंडा चौक, रघुनाथपुर मधुबन, हरिशंकर मनियारी, –59	900	108	2000	2300	413720	822520	4000
104		RPT	महंथ मनियारी, रतनौली –58	1000	120	1900	2300	408800		
105	38	BLK	सोनवर्षा देशी शराब	1210	145	0	0	121950	467340	8000
106		BLK	सोनवर्षा विदेशी शराब	0	0	880	920	141200		
107		RPT	सोनबरसा, छितरौली, पैगम्बरपुर (सकरा प्रखंड)–57	800	96	770	805	204190		
108	39	RPT	कुढ़नी, बगरा बंशीधर –52	1300	156	1100	1725	313290	626580	4000
109		RPT	चंद्रहट्टी, किशुनपुर मोहिनी –43	1300	156	1100	1725	313290		

क्र0	समूह सं0	दुकानों की श्रेणी	दुकान का नाम	मासिक न्यूनतम कोटा (LPL/BL)				मासिक अनुज्ञा शुल्क	समूह का मासिक अनुज्ञाशुल्क	आवेदन शुल्क
				देशी शराब	म0दे0 श0	विदेशी शराब	बीयर			
110	40	RPT	छाजन कोठीपुल, छाजन हरिशंकर पूर्वी / पश्चिमी–44	1400	168	1100	1725	323370	616650	4000
111		RPT	सुपना बाजार, गोरीगामनडीह, दुबियाही (कुढनी प्रखंड), –135	1265	152	990	1725	293280		
112	41	RPT	बलिया चौक, रजला, –55	1650	198	1320	1725	381570	988310	6000
113		RPT	फकुली, रजला–46	1200	144	1100	1100	296960		
114		RPT	किशुनपुर बलौर, बेलौरडीह–51	1265	152	1100	1725	309780		
115	42	RPT	पदमौल, 01 जग्रनाथपुर, हरपुर बलरा, पकाही,–48	900	108	400	800	158720	322120	4000
116		RPT	पदमौल–02,जग्रनाथपुर, हरपुर बलरा, पकाही–113	500	60	700	800	163400		
117	43	RPT	खरौनाडीह, तारसन – 50	1400	168	1150	1725	330870	676740	4000
118		RPT	दामोदपुर, (डुमरी ग्राम) –103	1400	168	1250	1725	345870		
119	44	BLK	मडवन देशी शराब	1650	198	0	0	166320	497190	5000
120		RPT	मधुबन, पकडी पकोही, रक्शा, मोहम्मदपुर सुबे–61	1400	168	1150	1725	330870		
121	45	BLK	मडवन विदेशी शराब	0	0	2600	4000	430000	673380	5000
122		RPT	भटौना, महमदपुर खाजे, द0 मकदूमपुर कोदरिया–64	1100	132	770	1700	243380		
123	46	BLK	बड़कागांव देशी शराब	1100	132	0	0	110880	459620	8000
124		BLK	बड़कागांव विदेशी शराब	0	0	880	805	140050		
125		RPT	बड़कागांव, बड़कागांव उत्तर, झखड़ाशेख, बड़कागांव द0, –60	800	96	800	805	208690		
126	47	RPT	करजा नं0–01, करजा, करजाडीह–62	1650	198	1350	1725	386070	1029520	6000
127		RPT	करजा नं0–02, गवसरा, रुपवारा, शुभंकरपुर,–63	1650	198	1350	1725	386070		
128		RPT	पोखरैरा, बहिलवारा गोविन्द, गोपी धनवत–130	1100	132	900	1150	257380		
129	48	RPT	माधोपुर सुस्ता, चैनपुर वाजिद –54	1400	168	2200	2300	494120	807410	4000
130		RPT	नारायणपुर अनंत, शेरपुर, दीघरा–101	1300	156	1100	1725	313290		
131	49	RPT	मानिकपुर नरोत्तम, धमौली, रामनाथ पूर्वी–31	990	119	880	1150	243310	443290	4000
132		RPT	शेरूकाही, माधोपुर डुलम उर्फ ढेलहाँ–35	770	92	770	690	199980		
133	50	RPT	साईन, वीरपुर, फूलकाहाँ मनी –33	880	106	770	1150	215740	523270	4000
134		RPT	पिपराहां चौक, पिपराहां असली, बड़ा भारती, जामिन मठिया–76	1265	152	1100	1500	307530		
135	51	BLK	बनघारा देशी शराब	1210	145	0	0	121950	440140	8000
136		BLK	बनघारा विदेशी शराब	0	0	770	805	123550		
137		RPT	बनघारा, नंदना, रघई, –72	880	106	660	690	194640		
138	52	BLK	औराई देशी शराब	1650	198	0	0	166320	946840	8000
139		BLK	औराई विदेशी शराब	0	0	2800	4000	460000		
140		RPT	सिमरी आलमपुर, रामपुर संभुता , विशुनपुर गोखल –02	1320	158	1150	1500	320520		

क्र0	समूह सं0	दुकानों की श्रेणी	दुकान का नाम	मासिक न्यूनतम कोटा (LPL/BL)				मासिक अनुज्ञा शुल्क	समूह का मासिक अनुज्ञाशुल्क	आवेदन शुल्क
				देशी शराब	म0दे0 श0	विदेशी शराब	बीयर			
141	53	RPT	मकसूदपुर –70	660	79	550	575	154760	450680	4000
142		RPT	रामपुरहरि, मदारीपुर करन, –68	1150	138	1100	1500	295920		
143	54	BLK	बान्द्रा देशी शराब	800	96	0	0	80640	371680	5000
144		RPT	रामपुर दयाल, सीमरा चक श्रीनाथ, बरगावाँ–10	1300	156	990	1150	291040		
145	55	BLK	बान्द्रा विदेशी शराब	0	0	2500	3000	405000	612640	5000
146		RPT	मुतलुपुर, नूनफारा – 09	800	96	800	700	207640		
147	56	RPT	रतवारा, सुन्दरपुर ~~रतवारा~~, तेपरी –11	990	119	1100	1500	279810	462370	4000
148		RPT	हत्था, मुन्नी बंगरी, ~~पटसारा~~– 08	700	84	700	700	182560		
149	57	RPT	बेरूआ, बखरी, मैठी –20	1320	158	1100	1600	314020	815640	4000
150		RPT	सर्फुद्दीनपुर, विशुनपुर, जगदीश –14	1400	168	2250	2300	501620		
151	58	RPT	एतवारपुर चौक, मैदापुर, बल्थी, बल्थी रसलपुर–15	1400	168	2200	2300	494120	824640	4000
152		RPT	मझौली, आदिगोपालपुर –13	1320	158	1210	1600	330520		
153	59	BLK	बोचहा देशी शराब	3000	360	0	0	302400	1073930	8000
154		BLK	बोचहा विदेशी शराब	0	0	2800	4000	460000		
155		RPT	कफेन चौधरी, नरकटिया– 17	1265	152	1150	1150	311530		
156	60	RPT	गरहाँ, पटियासा, लोहसरी – 18	1320	158	1210	1725	331770	1219580	6000
157		RPT	माधोपुर, बड़ा जग्रन्नाथपुर (बखरी चौक छोड़कर)–93	1320	158	2240	2300	492020		
158		RPT	बखरी चौक, माधोपुर –92	1300	156	1650	1725	395790		
159	61	RPT	भूताने, देवगन, उनसर, बेरई द0–12	1100	132	990	1150	270880	768170	4000
160		RPT	भिखनपुर –94	1300	156	2250	2875	497290		
161	62	RPT	नरमा, ताराजीवर –16	1265	152	1320	1725	342780	551860	4000
162		RPT	सरहचियाँ, डीह जीवर, भदई 07	820	92	770	1150	209080		
163	63	RPT	हथौड़ी, बेरई उत्तर, बेरई दक्षिणी, सहिला रामपुर –41	1400	168	1690	2500	419620	732640	4000
164		RPT	अमनौर, महिषवारा, सहिलाबल्ली –01	1320	158	1100	1500	313020		
165	64	BLK	गायघाट देशी शराब	880	106	0	0	88740	746190	8000
166		BLK	गायघाट विदेशी शराब	0	0	1540	3600	267000		
167		RPT	जारंग, पूर्वी / पश्चिमी, कमरथु, महमदपुर सुरा– 22	1550	180	1450	1725	390450		
168	65	RPT	रामनगर, बाघाखाल, बोरीडीह – 25	1265	152	1650	2300	398030	758300	4000
169		RPT	भूसरा, दहिलापटशर्मा, लोमा –21	1320	158	1400	1725	360270		
170	66	RPT	केवटसा, जमालपुर कोदई, बेलौर निधि–24	1200	144	1150	1725	310710	649080	4000
171		RPT	बरूआरी, शिवदाहा, लदौर–19	1400	168	1200	1725	338370		
172	67	RPT	काँटा पिरौछा उत्तरी / दक्षिणी, लक्ष्मणनगर –23	1265	152	1100	1725	309780	619560	4000
173		RPT	सुस्ता, जाँता – 26	1265	152	1100	1725	309780		
174	68	BLK	कटरा देशी शराब	880	106	0	0	88740	674400	8000
175		BLK	कटरा विदेशी शराब	0	0	2200	3450	364500		
176		RPT	धनौर, शिवदासपुर, मधेपुरा, –37	890	119	800	1035	221160		

क्र0	समूह सं0	दुकानों की श्रेणी	दुकान का नाम	मासिक न्यूनतम कोटा (LPL/BL)				मासिक अनुज्ञा शुल्क	समूह का मासिक अनुज्ञाशुल्क	आवेदन शुल्क
				देशी शराब	म0दे0 श0	विदेशी शराब	बीयर			
177	69	RPT	गंगिया, बसघट्टा, सोनपुर, बर्री –36	1250	150	1000	1150	287500	628330	4000
178		RPT	पहसौल, खंगुराडीह, बेलपकौना, लखनपुर–38	1350	162	1250	1725	340830		
179	70	BLK	परसौनीनाथ देशी शराब	2000	240	0	0	201600	531950	8000
180		BLK	परसौनीनाथ विदेशी शराब	0	0	800	805	128050		
181		RPT	परसौनी नाथ, राजेपुर (साहेबगंज), बांसघाट, मोहम्मदपुर महमदा, –78	1000	120	600	1150	202300		
182	71	RPT	हरदी, हरपुर, पगहिया –81	1650	198	1100	1725	348570	946200	6000
183		RPT	जगरिया, महम्मदपुर बल्मी, हरदी बेरूआ(सरैया), – 88	1650	198	1100	1725	348570		
184		RPT	जहाँगीरपुर, ठिकहाँ, फतेहा –83	990	119	880	1725	249060		
185	72	RPT	श्रीरामपुर चौक, रामपुर भेरियाही, जटौलिया, –87	1100	132	1000	1200	272880	530760	4000
186		RPT	जसौली पकड़ी –79	1100	132	900	1200	257880		
187	73	RPT	बरूराज, बरूराज पूर्वी / पश्चिमी। –80	1265	152	1300	1725	339780	627990	4000
188		RPT	हरनाही, कमलपुर बिथरौल –82	1200	144	1000	1725	288210		
189	74	RPT	रजवाड़ा विशुनपुर पट्टी, पहाड़पुर मनोरथ, हलिमपुर –117	900	108	880	1725	239970	536010	4000
190		RPT	हुस्सेपुर, रूप छपरा, हुस्सेपुर रति, जगदीशपुर–116	1300	156	1000	1500	296040		
191	75	RPT	बिरहमा बाजार, मंगुराहा तेजपुर, इब्राहिमपुर 84	800	96	800	1725	217890	449810	4000
192		RPT	निरपुर बाजार, पकड़ी बसारत, गौरा, विशुनपुर कल्याण, –115	900	108	880	920	231920		
193	76	BLK	पारू देशी शराब	2400	288	0	0	241920	1011880	8000
194		BLK	पारू विदेशी शराब	0	0	2805	4600	466750		
195		RPT	रेपुरा बाजार, मधौल, रेपुरा–109	1200	144	1100	1725	303210		
196	77	RPT	जाफरपुर नं0 01 जाफरपुर पारू उत्तरी–104	1400	168	1320	1725	356370	990040	6000
197		RPT	जाफरपुर नं0–02 जाफरपुर ग्यासपुर, कटारू–105	1400	168	1320	1725	356370		
198		RPT	बसैठा, कमलपुरा–133	1000	120	1100	1150	277300		
199	78	RPT	मंगुरहिया चौक, मंगुरहिया बाजितपुर, –110	1100	132	1265	920	309830	521970	4000
200		RPT	बसंतपुर, रेवा बसंतपुर उ0, मड़वापाकर, बसंतपुर दक्षिणी –129	800	96	800	1150	212140		
201	79	RPT	देवरिया पश्चिमी, चाँद केवारी, धरफरी –106	2750	330	1150	1725	466950	1400850	6000
202		RPT	देवरिया पूर्वी, मोहब्बतपुर –107	2750	330	1150	1725	466950		
203		RPT	विशुनपुर चौक, विशुनपुर सरैया, मोहजामा, नेकनामपुर, पंडे– 111	2750	330	1150	1725	466950		
204	80	BLK	मुशहरी देशी शराब	1650	198	0	0	166320	655400	5000
205		RPT	नरौली, डुमरी, विष्णुपुर चाँद (बुधनगरा छोड़कर)–98	1350	162	2200	2300	489080		
206	81	BLK	मुशहरी विदेशी शराब	0	0	2310	3795	384450	707220	5000
207		RPT	नवादा(छपरा मेघ),छपरा मेघ, मनिका हरिकेश (सेदहा टोला छोड़कर)–97	1320	158	1150	1725	322770		

क्र0	समूह सं0	दुकानों की श्रेणी	दुकान का नाम	मासिक न्यूनतम कोटा (LPL/BL)				मासिक अनुज्ञा शुल्क	समूह का मासिक अनुज्ञाशुल्क	आवेदन शुल्क
				देशी शराब	म0दे0 श0	विदेशी शराब	बीयर			
208	82	RPT	झपहा बाजार, झपहाँ, रामपुर जयपाल –95	1320	158	1250	2000	340520	993560	6000
209		RPT	नेउरा अली, राधोपुर, धर्मपुर –67	1320	158	1150	1500	320520		
210		RPT	झपहाँ, रामपुर जयपाल, सिमराहाँ–102	1320	158	1250	1200	332520		
211	83	BLK	मुरौल देशी शराब	1100	132	0	0	110880	672150	8000
212		BLK	मुरौल विदेशी शराब	0	0	1100	1500	180000		
213		RPT	ढोली, हरसिंगपुर लौटान, इटहाँ, रसूलपुर, विशुनपुर बखरी, –89	1320	158	1540	1725	381270		
214	84	RPT	महमदपुर, महमदपुर बदल, बकटपुर (मुशहरी) 91	1800	216	1100	1500	361440	962640	6000
215		RPT	बुधनगरा, रजवारा भगवानपुर –100	1100	132	880	1200	254880		
216		RPT	पिलखी, गाजपट्टी, मीरपुर –90	1650	198	1100	1500	346320		
217	85	BLK	सरैया विदेशी शराब सं0 01	0	0	2590	3680	425300	1266920	8000
218		BLK	सरैया विदेशी शराब सं0 02	0	0	2590	3680	425300		
219		RPT	मानिकपुर, चकइब्राहिम, कोल्हुआ–138	1650	198	1500	2500	416320		
220	86	RPT	अंबारा, अंबारा तेज सिंह, गोरगामनडीह–131	1200	144	1100	1500	300960	620980	4000
221		RPT	बखरा –132	1320	158	1100	2200	320020		
222	87	BLK	सरैया देशी शराब	2200	264	0	0	221760	868940	7000
223		RPT	रूपौली, गोपीनाथपुर डोकरा, रामपुर विश्वनाथ, रघुनाथपुर–127	1300	156	1100	1560	311640		
224		RPT	गिजास, रामपुर बली, रामपुर केशो उर्फ मलाही–128	1300	156	1210	2300	335540		
225	88	BLK	पानापुर देशी शराब	900	108	0	0	90720	448460	8000
226		BLK	पानापुर विदेशी शराब	0	0	870	805	138550		
227		RPT	पानापुर, हरसेर –66	800	96	870	805	219190		
228	89	RPT	टेंगरारी बाजार, टेगरारी, घोसौत, नेकनामा चौक–77	1265	152	1100	1725	309780	619560	4000
229		RPT	मीनापुर हॉस्पीटल चौक, मीनापुर, हरकामन शाही, –65	1265	152	1100	1725	309780		
230	90	BLK	मीनापुर देशी शराब	1700	204	0	0	171360	478890	5000
231		RPT	पैगम्बरपुर, चतुरसी (नेकनामा चौक छोड़कर)–75	1265	152	1100	1500	307530		
232	91	BLK	मीनापुर विदेशी शराब	0	0	2800	3000	450000	792780	5000
233		RPT	खेमाईपट्टी(मानिकपुर), महदेईया –71	1265	152	1320	1725	342780		
234	92	RPT	शिवाईपट्टी, बेलाहीं लच्छी, रानी खैरा उर्फ बनुआ–73	1265	152	1210	1500	324030	648060	4000
235		RPT	मझौलिया, कोईली, गोरीगामा –69	1265	152	1210	1500	324030		
236	93	BLK	सकरा देशी शराब	1400	168	0	0	141120	797860	8000
237		BLK	सकरा विदेशी शराब	0	0	2420	4000	403000		
238		RPT	नरसिंहपुर वाजिद सकरा, विद्याझाप, (मुशहरी राम ग्राम सहित)–123	880	106	1000	1500	253740		
239	94	BLK	सुजावलपुर देशी शराब	1100	132	0	0	110880	691360	8000
240		BLK	सुजावलपुर विदेशी शराब	0	0	2200	3000	360000		
241		RPT	सुजावलपुर, मचाहीं, मझौलिया, मिश्रौलिया–118	600	72	990	1150	220480		

क्र0	समूह सं0	दुकानों की श्रेणी	दुकान का नाम	मासिक न्यूनतम कोटा (LPL/BL)				मासिक अनुज्ञा शुल्क	समूह का मासिक अनुज्ञाशुल्क	आवेदन शुल्क
				देशी शराब	म0दे0 श0	विदेशी शराब	बीयर			
242	95	RPT	केशोपुर, चंदनपट्टी –124	1200	144	1155	1500	309210	618420	4000
243		RPT	दुबहाँ, दुबहाँ बुजुर्ग, डिहुली इशाक–121	1200	144	1155	1500	309210		
244	96	RPT	सरमस्तपुर (एन0एच0 28 के हनुमान मंदिर चौक से पश्चिम क्षेत्र को छोड़कर), सिराजाबाद गन्नीपुर बेझा–125	1150	138	1600	3500	390920	686840	4000
245		RPT	कटेसर, राजापाकड़, बाजी बुजुर्ग–126	1150	138	1100	1500	295920		
246	97	BLK	सिहो देशी शराब	1500	180	0	0	151200	521940	8000
247		BLK	सिहो विदेशी शराब	0	0	880	2300	155000		
248		RPT	सिहों, रुपनपट्टी(मुशहरी राम ग्राम छोड़कर) विशुनपुर, बघनगरी, जगदीशपुर बघनगरी, –120	880	106	770	1150	215740		
249	98	BLK	बरियारपुर देशी शराब	1100	132	0	0	110880	473160	8000
250		BLK	बरियारपुर विदेशी शराब	0	0	990	920	157700		
251		RPT	बरियारपुर, गौड़ीहाट, खलीकनगर, बेरूआडीह, भरथीपुर–122	770	92	770	1150	204580		
			एकल समूह							
252	99	RPT	मधौल, दरियारपुर कफेन, चकिया –45	1400	168	1350	1725	360870	360870	2000
253	100	RPT	शाहपुर मरचा, अख्तयारपुर परैया 56	1300	156	1250	1725	335790	335790	2000
254	101	RPT	रतवारा, खेतलपुर, भलूरा–04	1100	132	1100	1150	287380	287380	2000
255	102	RPT	टेका बाजार, राजखंड उत्तर, राजखंड दक्षिण, भरथुआ –05	1100	132	1100	1500	290880	290880	2000
256	103	RPT	सरैया, परसौनी रायसी, बसंतपुर चैनपुर–136	880	107	660	1150	199330	199330	2000
257	104	RPT	फतेहाबाद, बैजलपुर, उस्ती –108	700	85	600	810	168750	168750	2000
258	105	RPT	बड़ादाउद, आनंदपुर खरौनी, जगदीशपुर बाया, कोरिया निजामत, –112	700	84	630	810	173160	173160	2000
259	106	RPT	बसरा (खैरा पंचायत), खैरा अमेठा –137	1265	152	900	1725	279780	279780	2000
260	107	RPT	राजारामपुर, बहिलवारा दक्षिण, बहिलवारा उत्तर, 134	825	100	770	1150	210250	210250	2000
261	108	RPT	तुर्की खरारू, तुर्की पूर्वी / पश्चिमी –74	1400	170	1400	1500	366300	366300	2000
262	109	RPT	मारकन, रामपुरमणि, रामकृष्ण, मुड़ौन, विशुनपुर श्रीराम –119	1500	180	1400	2300	384200	384200	2000
263	110	RPT	बांध चौक, धरहरवा, मथुरा बुर्जगपुर, धनश्यामपुर– 06	800	96	770	1150	207640	207640	2000
264	111	RPT	जनार जीवाजोर बेनी, विशुनपुर उमानाथ बसंत–03	1200	144	1100	1500	300960	300960	2000
265	112	RPT	जजुआर मध्य, जजुआर पू0 / प0, कटाई–40	1400	170	1320	1380	353100	353100	2000
266	113	RPT	बुधकारा तेहवारा बन्धपुर, –39	880	110	832	900	222900	222900	2000
267	114	RPT	रोहुआ चौक, रोहुआ, घीरनपट्टी –99	1300	156	1300	1560	341640	341640	2000
			कुल योग :–	*304058*	*36489*	*393752*	*662585*	*96337880*	*96337880*	*797000*

नोट :– MMC – नगर निगम क्षेत्र एवं आसपास 1.000 कि0मी0 का क्षेत्र, NPT – नगर पंचायत क्षेत्र एवं आसपास 500 मी0 का क्षेत्र, BLK – प्रखंड मुख्यालय / प्रखंड मुख्यालय स्तर की दुकान RPT – पंचायत स्तर की कंपोजिट दुकान

अधीक्षक उत्पाद,
मुजफ्फरपुर।

अपर समाहर्त्ता,
मुजफ्फरपुर।

21/03/15
समाहर्त्ता,
मुजफ्फरपुर।